सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या 981/वन एवं ग्रा.वि.शा (ग्रा. वि.)

प्रेषक

डा. आर. एस. टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा (ग्रा.वि0) देहरादून : दिनांकः अक्टूबर 5, 2001

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तरांचल में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'आपरेशन एस.एच.जी' तैयार की गई हैं उक्त प्रोजेक्ट की एक प्रति समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को डाकपत्थर में आयोजित कार्यशाला के दौरान उपलब्ध कराई गई थी साथ ही समय–समय पर आपसे परियोजना के अनुरूप उत्तरांचल के प्रत्येक ग्राम में एक समूह गठित करने हेतु अभियान के रूप में चलाने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं.

2. भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को एक वृहद् स्वरूप देने व आन्दोलन के रूप में लिये जाने के लिये सभी राज्यों का आह्वान किया है. मा. मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को एक पत्र सम्बोधित किया है उक्त पत्र की छाया प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है जिससे आप इस कार्य की शीर्ष प्राथमिकता तथा गम्भीरता से स्वयं अवगत हो कर समस्त विकास विभागों को इस कार्य में

सम्बद्ध करने के बारे में कार्यवाही करें.

3. मा. ग्रामीण विकास मंत्री जी भारत सरकार के पत्र के क्रम में मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल द्वारा उत्तरांचल में 18000 स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रतिवध्दता प्रदर्शित की गई है तथा भारत सरकार से इस हेतु 9.73 करोड़ रुपये तथा कपार्ट से 6.99 करोड़ धनराशि की मांग भी की गई है. उक्त पत्रों की छायाप्रतियां आपको इस आशय से भी प्रेषित की जा रही हैं कि मा. मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल के पत्र में वर्णित बिन्दुओं/आश्वासन के अनुरूप तत्काल कार्यवाही पूर्ण करें तथा प्रत्येक दशा में अपने जनपदों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें साथ ही पाक्षिक सूचना शासन को उपलब्ध करायें.

4. विभागाध्यक्षों को भी समय–समय पर मासिक बैठकों में स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा समूहों के आर्थिक उन्नयन हेतु परियोजनायें तैयार करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं. अब समय आ गया है कि सभी विभागाध्यक्षों को इस कार्यक्रम में स्पष्ट कार्य योजना बना कर उनकी गतिविधियों तथा कार्मिकों को सम्यक रूप से इस कार्य में जोड़ते हुये युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा. जनपदों के भ्रमण के दौरान संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों से अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूहों के विषय में विचार विमर्श कर तथा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही से मुख्य विकास अधिकारियों तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते रहेंगे.

5. स्वयं सहायता समूहों के गठन में स्वयं सेवी संगठनों से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्राप्त निर्देश प्रेषित कर दिए गए है. कतिपय बिन्दुओं पर कार्यहित में शिथिलता भी दी गई है. प्रत्येक जनपद हेतु एंकर एन.जी.ओ. की तैनाती पूर्व से ही की जा चुकी है. आपरेशन एस.एच.जी. के अन्तर्गत 18826 के लक्ष्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, पहले भाग में विकास विभाग के कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से समूह गठित किए जायेंगे. इस हेतु धनराशि स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित कराई जायेगी. दूसरे भाग में कपार्ट के सहयोग से समूहों का गठन किया जायेगा. इस हेतु कपार्ट से धनराशि मांगी गई है. आपरेशन एस.एच.जी. की पुस्तिका के पृष्ठ 7 पर जनपद वार कपार्ट के सहयोग से गठित किए जाने

वाले समूहों का विवरण दिया गया है. जनपदों से संबंधित एंकर एन.जी.ओ. को इन समूहों के गठन की योजना तैयार कर सीधे महानिदेशक कपार्ट को भेजनी है, तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करानी है ताकि शासन स्तर से अनुश्रवण किया जा सके. इस हेतु एंकर एन.जी.ओ. को पत्र संख्या 963/दिनांक 4–10–2001 पृथक से प्रेषित किया गया हैं.

6. आशा है कि हम सभी मिलकर इस प्रदेश के वी.पी.एल. परिवारों को लक्षित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार में स्थापित करने में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय देंगे.

भवदीय

(डा0 आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि – समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल को इस आशय से कि स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रदेश में युद्ध स्तर पर करते हुए पाक्षिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

(डा. आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त